मेट्रो में वेडिंग शूट और बर्थडे सेलिब्रेशन पर चर्चा गर्म, कांग्रेस ने मेट्रो प्रोजेक्ट को बताया असफल

'सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स' में उलझी इंदौर और भोपाल की मेट्रो ट्रेन

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9584460010

इंदौर में मप्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का वो आदेश चर्चा का विषय बना हुआ जिसमें मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो ट्रेन के एक स्पेशल कोच में बर्थडे, प्री-वेडिंग शूट सहित अन्य आयोजन कर सकेंगे। 6 मई को मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी एस. कृष्ण चैतन्य ने यह आदेश जारी किए, जिसके बाद से यह आदेश चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर मेट्रो प्रोजेक्ट पर मीम्स बनाए जा रहे हैं, साथ ही तर्क दिया जा रहा है कि मेट्रो प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। खर्चा पूरा नहीं होने के कारण मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्री-वेडिंग और बर्थडे सेलिब्रिशन को अनुमति सशुल्क दी है, जिसके बाद से इंदौर-भोपाल के मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सोशल मीडिया के साथ कांग्रेस के नेता प्रोजेक्ट को असफल और घाटे वाला बता रहे

हैं, जबकि पूर्व सीएम कमलनाथ में इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। वहीं, मेट्रो ट्रेन संचालन एक्सपर्ट की राय सबसे अलग है।

प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ, तो असफल कैसे?- मामले में मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी चैतन्य ने बताया कि इंदौर और भोपाल मेट्रो की प्रमोशन पॉलिसी को लांच किया गया है, जो देश के प्रत्येक मेट्रो प्रोजेक्ट द्वारा लांच की जाती है। यह मेट्रो संचालन का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर क्या चल रहा है इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, तो इसको असफल कैसे कहा जा सकता है।

10 साल बाद उपयोगी दिखाई देगी मेट्रो

दिल्ली मेट्रो के पूर्व एमडी डॉ. मंगू सिह ने बताया कि देश में तेजी से विकसित होते शहरों में यातायात और जाम की समस्या तेजी से बढ़ रही है। यहां वाहनों की संख्या भी रिकॉर्ड स्तर पहुंच गई है। इंदौर और भोपाल भी इसी समस्या से ग्रस्त है, इसलिए दोनों शहरों में कुल 11000 करोड़ मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। अभी दोनों प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए, इसलिए सफल और असफलता तय नहीं की जा सकती। दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट 20 साल में पूरा हुआ। इंदौर का मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा होने में 10 साल लगेंगे। इंदौर में जब आबादी 45 लाख हो जाएगी, तब मेट्रो की जरूरत होगी।

क्या शादी और बर्थडे शूटिंग के लिए किए करोड़ों खर्च?- कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश चौकसे ने मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट असफल हो गया है। चलाने का खर्च 8 लाख रु. प्रतिदिन है और आय जीरो है, इसलिए मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ट्रेन को मजाक बना दिया है। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को क्या फोटो शूट और बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बनाया गया था?

इंदौर के मेट्रो रूट प्लानिंग में चूक- मेट्रो संचालन से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ केशव कुमार बताते हैं कि जब कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसकी डीपीआर और फिजिबिलिटी रिपोर्ट में यात्री की संख्या के बारे अनुमान लगाया जाता है। इंदौर का मेट्रो प्रोजेक्ट शहरी सीमा के बाहर प्लान किया, इसलिए यात्री नहीं मिल रहे हैं। प्रोजेक्ट राजवाड़ा से विजय नगर प्लान किया जाता तो यात्री की संख्या अधिक होती, लेकिन भविष्य में समस्या नहीं रहेगी।

दो दिन बाद बढ़ा पारा, फिर भी मई की शुरुआत राहतभरी

इंदौर। शहर में मई की शुरुआत इस बार राहतभरी बनी हुई है। अप्रैल की तुलना में गर्मी का असर कम महसूस हो रहा है। हालांकि पिछले दो दिनों में तापमान में हल्की गिरावट के बाद एक डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुवार सुबह शहर का तापमान करीब 39.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो बुधवार की अपेक्ष एक डिग्री अधिक है। बुधवार को अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मंगलवार को दिन का तापमान 37.6 डिग्री था, जो बुधवार को बढ़कर 38.1 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। इसके बाद पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। फिलहाल सक्रिय मौसम प्रणाली कमजोर होने से तेज लू और अत्यधिक गर्मी का असर कम बना हुआ है। अगले दिनों में कभी तेज गर्मी तो कभी बादल नजर आएंगे।

प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

कैट रोड स्थित गोदाम सील, 2750 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9584460010

नगर निगम द्वारा शहर को सिंगल यूज़ प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने कैट रोड स्थित फैमिली कलेक्शन (मोक्ष ट्रेडर्स) पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 2750 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त कर गोदाम को सील कर दिया।

ताला काटकर की जांच- कार्रवाई के दौरान निगम टीम ने दुकान संचालक से परिसर खोलने का आग्रह किया, लेकिन संचालक द्वारा सहयोग नहीं किया गया। इसके बाद निगम अधिकारियों ने नियमानुसार आरी से ताला काटकर परिसर की जांच की।

निगम की सख्त चेतावनी- निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं पॉलिथीन का निर्माण, भंडारण, विक्रय और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

कैट रोड स्थित गोडाउन से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन और कैरी बैग मिले।

विशेष अभियान के तहत कार्रवाई- निगमायुक्त क्षितिज सिघल के निर्देश एवं अपर आयुक्त प्रखर सिह के मार्गदर्शन में झोन क्रमांक 21, वार्ड क्रमांक 79 क्षेत्र में विशेष पॉलिथीन चेकिंग अभियान चलाया गया। निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैट रोड स्थित फैमिली कलेक्शन (मोक्ष ट्रेडर्स) पर जांच की।

भारी मात्रा में मिली प्रतिबंधित पॉलिथीन- जांच में गोदाम के अंदर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलिथीन एवं कैरीबैग का अवैध भंडारण पाया गया। टीम ने मौके से लगभग 2750 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की। प्रतिबंधित सामग्री मिलने पर गोदाम को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।

यूजी-पीजी प्रवेश में पहली बार पात्रता परीक्षा का रहेगा विकल्प

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9009585701

इंदौर सहित प्रदेशभर के कॉलेजों में सत्र 2026-27 के लिए यूजी और पीजी प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया 15 मई तक शुरू होने की संभावना है। इस बार प्रवेश प्रक्रिया और गाइडलाइन में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन पहली बार कुछ विद्यार्थियों के लिए पात्रता परीक्षा (एलिजिबिलिटी टेस्ट) का विकल्प लागू किया जा रहा है।

नई व्यवस्था के तहत वे विद्यार्थी, जो 12वीं में लिए गए संकाय या मेजर विषय से अलग कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें प्रवेश परीक्षा देना होगी। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कॉमर्स का छात्र बीए में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। शिक्षाविदों के अनुसार परीक्षा में पिछली कक्षा के सिलेबस से जुड़े आसान प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उद्देश्य केवल छात्र की पात्रता तय करना रहेगा। पीजी में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू होगी। जो विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय बदलकर दूसरे विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उन्हें टेस्ट देना होगा।

बिना पंजीयन बनाई जा रही थी कुल्फी, प्रतिष्ठान कराया बंद

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9584460010

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने इंदौर में मिलावटी एवं अस्वच्छ खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए धार रोड स्थित एक कुल्फी निर्माण इकाई को बंद करा दिया। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर 6 और 7 मई को शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जांच अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 29 खाद्य नमूने जांच हेतु लिए गए।

बिना लाइसेंस चल रहा था कारोबार- खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने धार रोड स्थित मां इंटरप्राइजेज पर औचक निरीक्षण किया। यहां 'बॉम्बे चौपाटी' ब्रांड की कुल्फी, आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट का निर्माण एवं भंडारण किया जा रहा था। जांच के दौरान संचालक वैध खाद्य लाइसेंस या पंजीयन प्रस्तुत नहीं कर सके। पुराना पंजीयन केवल स्टोरेज के लिए मान्य था, जबकि वर्तमान परिसर में निर्माण, ट्रेडिंग और स्टोरेज तीनों गतिविधियां संचालित हो रही थीं।

धार रोड स्थित कुल्फी निर्माण इकाई में कार्रवाई करता खाद्य विभाग का अमला।

गंदगी में बन रही थी कुल्फी- निरीक्षण में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कर्मचारी बिना कैप, ग्लव्स और एप्रोन के काम करते मिले। निर्माण स्थल पर गंदगी थी। अधिकारियों ने कुल्फी के 8 नमूने लेकर जांच हेतु भेजे और इकाई को तत्काल बंद करा दिया।

पंकज आइस कैंडी से 5 नमूने लिए, होगी जांच

इसके अलावा बियाबानी धार रोड स्थित पंकज आइस कैंडी से 5 नमूने लिए गए। शिकायत के आधार पर राधिका फरियाली एंड सैंडविच तथा श्री साईं डोसा भवन का निरीक्षण कर साबूदाना खिचड़ी, इडली और चटनी के नमूने जांच के लिए भेजे गए।

> आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
>
> -शिवम वर्मा, कलेक्टर

शहर में 39 केंद्रों पर शुरू हुई एमपी बोर्ड की दूसरी परीक्षा

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9009585701

मध्यप्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की दूसरी परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई। इस परीक्षा के जरिए उन विद्यार्थियों को दोबारा मौका दिया जा रहा है, जो मुख्य परीक्षा में असफल रहे थे या अपने अंकों से संतुष्ट नहीं थे। जिले में परीक्षा के लिए 39 केंद्र बनाए गए हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी शांता स्वामी भार्गव ने बताया कि सभी केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है, ताकि परीक्षा पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू हुई, जबकि विद्यार्थी सुबह से ही केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस वर्ष जिले से करीब 23,500 विद्यार्थियों ने दूसरी परीक्षा के लिए पंजीयन कराया है। इनमें लगभग 10,500 विद्यार्थी कक्षा 10वीं और 13 हजार विद्यार्थी कक्षा 12वीं के हैं। हालांकि करीब 6 हजार पात्र विद्यार्थियों ने इस बार परीक्षा फॉर्म नहीं भरे। अधिकारियों के अनुसार परीक्षा परिणाम भी जल्द घोषित करने की तैयारी है।

भाजपा मंडलों की कामकाजी बैठकें संपन्न

इंदौर। भाजपा इंदौर नगर के विभिन्न मंडलों की कामकाजी बैठकें गुरुवार को संपन्न हुईं। लक्ष्मणसिह गौड़ मंडल में नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और विधायक मालिनी गौड़ ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया, वहीं शहीद भगतसिंह मंडल की बैठक में विधायक मालिनी गौड़, पूर्व विधायक गोपीकृष्ण नेमा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि भाजपा आज एक वटवृक्ष के रूप में स्थापित हुई है, जिसके पीछे कार्यकर्ताओं का समर्पण और परिश्रम है। उन्होंने कहा कि 'कार्यकर्ता जब बूथ पर पसीना बहाता है, तभी कमल खिलता है।' बैठक में एमआईसी सदस्य राकेश जैन, पार्षद मीता राठौर, मंडल अध्यक्ष हेमेंद्र झीनीवाल आदि मौजूद थे।

इंदौर एयरपोर्ट डायरेक्टर की पीएमओ में शिकायत

इंदौर। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के डायरेक्टर सुनील मग्गीरवार के खिलाफ गंभीर आरोपों से जुड़ी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), नागर विमानन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) तक पहुंची है। शिकायत में उन पर अधिकारियों और कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज, भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और अनुचित दबाव बनाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। पीएमओ से शिकायत मिलने के बाद एएआई की टीम इंदौर पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है।

जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज रायजादा के नाम से भेजी गई शिकायत 17 अप्रैल को पीएमओ से एएआई को भेजी गई थी। सोमवार को जीएम सिविल प्रभु सरकार सहित अधिकारियों की टीम इंदौर एयरपोर्ट पहुंची और दस्तावेजों की जांच के साथ अधिकारियों के बयान दर्ज किए।

शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9009585701

जिले के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। एआईसीटीई और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से संबद्ध पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है।

महाविद्यालय में वर्तमान में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन तथा होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी जैसे रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रवेश प्रक्रिया तकनीकी शिक्षा संचालनालय भोपाल की काउंसलिंग समिति द्वारा ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। प्रथम चरण के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 29 मई और चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि 2 जून निर्धारित की गई है। महाविद्यालय की प्राचार्य विजया शिंदे ने बताया कि यह इंदौर जिले का एकमात्र शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय है, जहां छात्राओं को लगभग 10 हजार रुपए वार्षिक शुल्क पर तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। छात्राओं के कौशल विकास के लिए संस्थान में समय-समय पर इंडस्ट्री विजिट, एक्सपर्ट लेक्चर, इंटर्नशिप, वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं।

डेली कॉलेज चुनाव : प्रत्याशियों ने बैलेट पेपर चोरी के लगाए आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले- अध्यक्ष और बोर्ड मेंबर्स कर रहे एकतरफा कार्रवाई, चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर

मो.नं. 9981382813

डेली कॉलेज सोसाइटी के चुनाव को लेकर विवाद गहरा गया है। न्यू डोनर कैटेगरी के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और बैलेट पेपर की चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रत्याशी राजेश अग्रवाल, नीरज देसाई और जयेश पटेल ने यह आरोप लगाए।

प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि 5 और 6 मई को 153 बैलेट पेपर विभिन्न शहरों में स्पीड पोस्ट से

भेजे गए थे, लेकिन डेली कॉलेज सोसाइटी के अध्यक्ष और बोर्ड मेंबर्स द्वारा जबरन बैलेट पेपर छीने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर बैलेट पेपर सदस्यों की इच्छा के खिलाफ ले लिए गए। प्रत्याशियों के अनुसार, देवास में एक उद्योगपति शिवसिंह मेहता के कार्यालय से 20-25 लोगों ने उनका बैलेट पेपर जबरदस्ती छीन लिया। इसके अलावा देवास के दो अन्य कार्यालयों से भी इसी तरह बैलेट पेपर उठाए जाने की बात कही गई। वहीं पीथमपुर में बंद कारखानों में भेजे गए बैलेट पेपर भी पोस्टमैन से ही ले लिए गए, जबकि नियम अनुसार डिलीवरी न होने पर बैलेट को पोस्ट ऑफिस वापस जाना चाहिए था।

चुनाव प्रक्रिया पर सवाल

प्रेस वार्ता में प्रत्याशियों ने चुनाव प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इलेक्शन ऑफिसर और सेक्रेटरी द्वारा लगातार एकपक्षीय निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल को चुनाव नोटिस जारी किया गया था, जब पुराना संविधान लागू था, जबकि नए संविधान को 24 अप्रैल को मंजूरी मिली। इसके बावजूद चुनाव नई व्यवस्था के अनुसार कराए जा रहे हैं।

ओल्ड डोनर सदस्यों के अधिकारों की अनदेखी

प्रत्याशियों ने कहा कि इस प्रक्रिया में ओल्ड डोनर कैटेगरी के सदस्यों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है, जो उचित नहीं है। गौरतलब है कि न्यू डोनर कैटेगरी में 21 मई को मतदान प्रस्तावित है। फिलहाल आरोपों के चलते चुनाव प्रक्रिया को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है।

भौतिक कब्ज़े की सूचना

ICICI Bank | **शाखा कार्यालय :** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ऑफिस नंबर 201बी, दूसरी मंजिल, रोड नंबर 1, प्लॉट नंबर-3बी, वाईफ़ाई आईटी पार्क, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठाणे (पश्चिम)- 400604

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्ज़दार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।

कर्ज़दार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा भौतिक कब्ज़ा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ भौतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	अवि ट्रेडर्स/ पूनम चंदेल/ राजेंद्र सिंह चंदेल/ 024105006599/ 024155000078/ 291555000001	संपत्ति 1- प्लॉट नंबर 1491, सुदामानगर, सेक्टर डी, इंदौर, (म.प्र.), 60 फीट रोड, इंदौर, सुदामानगर, मध्य प्रदेश, इंदौर- 452009/ मई 06, 2026	जनवरी 15, 2025 रु. 4,59,21,730.41/-	इंदौर

उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार(रों)/सह-कर्ज़दार(रों) एवं ज़मानतदार(रों) को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् कब्जे की संपत्ति(याँ) नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णत: नियम 8 और 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक : मई 08, 2026
स्थान : इंदौर

भवदीय, प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

FEDBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED
फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड — कब्जा सूचना

यूनिट नंबर : 1101, 11वीं मंज़िल, सिग्नस, प्लॉट नंबर 71 ए, पवई, पासपोली, मुंबई - 400087

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी हैं, जो वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत हैं और उनके द्वारा जारी प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नीचे उल्लिखित नोटिस में निम्नलिखित को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है। निम्नलिखित उधारकर्ता जो राशि चुकाने में विफल रहे हैं, उनके द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के साथ प्रतिभूति हित नियम (प्रवर्तन 2020) के नियम 8 के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है।

	लेन / उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता / गारंटर
1	लोन खाता संख्या FEDINOSTL0503100; (1) जीवन सिंह मकवाना (कर्जदार); (2) इंदिरा बाई मकवाना (सह-कर्जदार); (3) नारायण मकवाना (सह-कर्जदार)` मांग नोटिस की तारीख और राशि: 06/02/2026, रु. 2583271/- (पच्चीस लाख तिरासी हजार दो सौ इकहत्तर रुपये मात्र) दिनांक 5/2/2026 के अनुसार` कब्जे की तारीख और प्रकार: 05-05-2026 और सांकेतिक कब्जा` अचल संपत्ति का विवरण: गिरवी रखी गई संपत्ति का पूरा हिस्सा और टुकड़ा, जिसमें मकान शामिल है, पता: Phn 28, Sn 171/2, क्षेत्रफल 0.093 हेक्टेयर, ग्राम अजंदा, तहसील हातोद, ज़िला इंदौर-452001, मध्य प्रदेश। सीमाएं: पूर्व: सड़क, पश्चिम: सड़क, उत्तर: सड़क, दक्षिण: जगदीश ठाकुर की संपत्ति।

खास तौर पर कर्ज लेने वाले और आम लोगों को यह चेतावनी दी जाती है कि वे प्रॉपर्टी से कोई डील न करें और प्रॉपर्टी से कोई भी डील करने पर फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ऊपर बताई गई रकम और उस पर ब्याज का चार्ज लगाएगा। उधारकर्ता का ध्यान एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (8) के प्रोविजन की ओर दिलाया जाता है, जिसमें सिक्योर्ड एसेट्स को रिडीम करने के लिए समय दिया गया है।

स्थान इन्दौर
दिनांक : 05.05.2026

हस्ते/- (अधिकृत अधिकारी),
फेडबैंक फायनेंशियल सर्विसेस लि.

Bank of India रिश्तों की जमापूंजी / Relationship beyond banking

आंचलिक कार्यालय : स्टार हाउस, प्लॉट नं. 58 और 59, वंसत विहार कॉलोनी, वार्ड नं. 4, धार (म.प्र.)
मोबाईल नं. 9764735730, 8787277135

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाला और जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्तियाँ जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी / प्रभारित है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहां है ,जैसा है और जो कुछ भी है ''** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणीयों एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंड़िया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु **दिनांक 26.05.2026** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमश: दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक - 26.05.2025, समय- प्रात: 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपत्तियों का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रु.) (6)	ईएमडी (7)
राजपुर शाखा	श्री संजय पाटीदार पिता श्री कोटियाजी पाटीदार	संपत्ति के सभी अंग सेटलमेंट नं. 156, सर्वे नं. 411/20, वार्ड नं. 2, नवलपुरा, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.), **सपंत्ति मालिक : श्री संजय पाटीदार पिता श्री कोटियाजी पाटीदार, प्लॉट एरिया - 750 स्के.फीट,, सपंत्ति मालिक : श्री संजय पाटीदार पिता श्री कोटियाजी पाटीदार (ऋणी), चतुर्सीमा : पूर्व** : प्राईम एकेडमी स्कुल, **पश्चिम** : पब्लिक रोड़, **उत्तर** : विक्रेता की बची हुई भूमि, **दक्षिण**: विक्रेता की बची हुई भूमि,	01.10.2022 **30,97,708.20** + ब्याज एवं अन्य खर्च	29.08.2024 भौतिक	₹ 21.50 लाख	₹ 2.15 लाख
मुलथान शाखा	मेसर्स बालाजी स्टोन क्रशर, प्रोप्रा. श्री जितेन्द्र सिंह पिता उदय सिंह राठौर	संपत्ति के सभी प्रमुख अंग फ्लेट / प्लॉट नं. 10 वार्ड नं. 04, सरदार पटेल मार्ग, बदनावर जिला धार, पंजीयन के अंतर्गत उप जिला बदनावर एवं जिला धार, **संपत्ति मालिक : श्रीमती प्रभु कुंवर पति उदयसिंह राठौर (जमानतदार), चतुर्सीमा : उत्तर** : गौरीशंकर शर्मा का मकान, **दक्षिण** : धन्नालाल जैन का मकान एवं कालिका मंदीर, **पूर्व** : सरकारी गली, **पश्चिम** : मानकलाल जैन का मकान	06.12.2018 **6,22,292.60** + ब्याज एवं अन्य खर्च	14.02.2023 भौतिक	₹ 16.00 लाख	₹ 1.60 लाख

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट https://baanknet.com, बोलीकर्ता https://baanknet.com, नियम व शर्तो की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते है। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है।

ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का **25%** (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।

बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का **25%** (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।

सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें) दिन को या उससे पहले या ऐसी अवधि, जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कारण दर्ज कर बढ़ाया गया हो, के भीतर जमा किया जाना होगा।

डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।

इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा **194-IA** के तहत लागू **1%** की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म **26QB** आनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म **16B** में जारी करना होगा। खरीदार को सरकारी खाते मे आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोडने पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक: 08.05.2026, स्थान : धार

प्राधिकृत अधिकारी: बैंक ऑफ इंडिया